भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2860

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

राशन कार्ड धारकों का उत्पीड़न

2860. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नेटवर्क न होना, सर्वर डाउन रहने, या फिंगरप्रिंट मैच न होने जैसी स्थितियों में राशन कार्ड धारकों के उत्पीड़न को कम करने के लिए आधार संख्या डालकर राशन देने जैसी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी स्थिति में किसी राशन कार्ड धारक को वंचित न करने के संबंध में कोई सरकारी आदेश जारी किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो औपचारिक आदेश जारी करने में आ रही समस्याएं कौन-कौन सी हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कई प्रमाणीकरण मोड उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें सिंगल फिंगर, फ्यूजन फिंगर, आइरिस (आईआरआईएस) और आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण शामिल हैं।

यदि परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो राशन कार्ड से जुड़े परिवार के अन्य पात्र सदस्य प्रमाणीकरण कर सकते हैं और खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष मामलों में नामित व्यक्ति की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे लाभार्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से राशन लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। ई-पीओएस उपकरण सीमित/बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऑफलाइन मोड में काम करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी पात्र लाभार्थी का उत्पीड़न न किया जाए या उसे उसके पात्र खाद्यान्न से वंचित न किया जाए। ऑफलाइन लेनदेन डेटा को पीडीएस ऑनलाइन प्रणाली के साथ सिंक करने के लिए ई-पीओएस डिवाइस को समय-समय पर नेटवर्क से जुड़ना होता है।

(ग) और (घ): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/ लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स की वजह से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण की विफलता के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के पात्र कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।
